भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2020/एच-1/2/5/पर केपिटा

नई दिल्ली, दिनांक 31.08.2021

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीएमडब्ल्यू, पटियाला,

विषय: रेल अस्पतालों/औषधालयों में कतिपय लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार (प्रति कार्डधारक (परिवार)) की गणना।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.11.2014, 27.05.2016 और 20.12.2017, 26.06.2018 एवं 17.06.2019 का पत्र सं.2003/एच-1/2/2 और 28.10.2020 का समसंख्यक पत्र।

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 610(3) के अनुसार, सहकारी ऋण समितियों और बैंकों के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार (प्रति कार्डधारक (परिवार)) के आधार पर चिकित्सा सेवा एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 610(5) के अनुसार, अर्ध-रेलवे संगठन के परिवार के सदस्यों के लिए भी भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 610(1) में यथा उल्लिखित, प्रति-व्यक्ति प्रभार (प्रति कार्डधारक (परिवार)) का भुगतान करने पर आंतरिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रति व्यक्ति प्रभार (प्रति कार्डधारक (परिवार)) की गणना पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में रेल कर्मचारियों की चिकित्सा सेवाओं (स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर) पर हुए कुल खर्च के आधार पर की जाती है।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार (प्रति कार्डधारक (परिवार)) ₹16,286/- प्रति वर्ष है।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(श्रीमती एच. के. सन्होत्रा)
संयुक्त निदेशक-II/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड
टेलीफोन नं.011-47843135
ईमेल: harvinder.salhotra@gov.in
कमरा नं.606-बी

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/सीएमओ, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
4. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: डीडीएफ (ई)1 एवं एफ (ई) विशेष, रेलवे बोर्ड